

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/8526 /

जबलपुर, दिनांक 22/12/2023

दो-13-50/23

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्री राजेश दुबे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की मृत्यु दिनांक 14/07/2023 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 58 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त धनराशि का भुगतान श्रीमती ऊषा दुबे पति स्व. श्री राजेश दुबे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल  
महोदय के आदेशानुसार

सही/-

(संजय कुमार सिंह)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्रमांक A/8527 /

जबलपुर, दिनांक 22/12/2023

दो-13-50/23

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल एनालिस्ट (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
6. श्रीमती ऊषा दुबे पति स्व. श्री राजेश दुबे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर पता- 1432/1, रानी दुर्गावती रोड, रानी दुर्गावती विद्यालय के पास, गंगा नगर, गढ़ा, जबलपुर मध्यप्रदेश-482003 मो. नं. 7440889466 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(संजय कुमार सिंह)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)